**बिहार सरकार**

**लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग**

पत्रांक :— 6ए0 / प्राक्क01—1099 / 2018 — 1928 पटना — 15 ,दिनांक :— 21/8/18

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषय —राज्य योजना अन्तर्गत सिवान जिला के लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सिवान में पूर्व से निर्मित दो अदद ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना में ''हर घर नल का जल निश्चय योजना'' के तहत विद्यमान संरचना में सुधार, पाईप लाईन का विस्तार कर हर घर नल के जल से आच्छादित करने हेतु योजना की स्वीकृति।

आदेश — राज्य योजना अन्तर्गत सिवान जिला के लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सिवान में पूर्व से निर्मित दो अदद ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना में ''हर घर नल का जल निश्चय योजना'' के तहत विद्यमान संरचना में सुधार, पाईप लाईन का विस्तार कर हर घर नल के जल से आच्छादित करने हेतु योजना की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राज्य योजना अन्तर्गत सिवान जिला के लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सिवान में निम्न दो अदद ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के अन्तर्गत विद्यमान संरचना में सुधार, पाईप लाईन का विस्तार कर इससे आच्छादित वार्डों में गृह जल संयोजन का कार्य कर संतृप्त किया जाना है।

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि एवं वार्ड निम्नवत् हैं :—

| क्रम संख्या | जिला का नाम | प्रमण्डल का नाम | पंचायत का नाम | ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना का नाम | वार्ड संख्या | स्वीकृत राशि (लाख रूपये में) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | अंक में | अक्षर में |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | सिवान | सिवान | चैनपुर | चैनपुर | 5, 6, 7, 8, 9, 10 एवं 11 | 67.138 | सड़सठ लाख तेरह हजार आठ सौ रू0 मात्र। |
| 2 | | | चाँप | चाँप | 1, 2, 3 एवं 4 | 46.623 | छियालीस लाख बासठ हजार तीन सौ रू0 मात्र। |
| | | | **कुल** | | | **113.761** | एक करोड़ तेरह लाख छिहत्तर हजार एक सौ रू0 मात्र। |

3. इस योजना के मुख्य अवयव विद्यमान संरचना में सुधार, पाईप लाईन का विस्तार तथा पाँच वर्ष के लिए संचालन एवं रख—रखाव (विद्युत ऊर्जा पर व्यय सहित) तथा कॉलम—6 में अंकित वार्डों में गृह जल संयोजन का कार्य किया जाना है।

4. इस योजना पर होने वाला योजना व्यय बजट का (I) मुख्य शीर्ष — 2215—जल पूर्ति तथा सफाई — उपमुख्य शीर्ष — 01—जल पूर्ति — लघु शीर्ष — 102—ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम — मांग संख्या — 36 — उपशीर्ष — 0106—मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर—गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) — विपत्र कोड — 36—2215011020106 — विषय शीर्ष — 0106.31.05—सहायक अनुदान—परिसंपत्तियों का निर्माण (II) मुख्य शीर्ष — 2215—जल पूर्ति तथा सफाई — उपमुख्य शीर्ष — 01—जल पूर्ति — लघु शीर्ष — 789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना — मांग संख्या — 36 — उपशीर्ष — 0104— मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर—गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) — विपत्र कोड — 36—2215017890104 — विषय शीर्ष — 0104.31.05—सहायक अनुदान—परिसंपत्तियों का निर्माण तथा (III) मुख्य शीर्ष — 2215—जल पूर्ति तथा सफाई — उपमुख्य शीर्ष — 01—जल पूर्ति — लघु शीर्ष — 796—जनजातीय क्षेत्र उप योजना — मांग संख्या — 36 — उपशीर्ष — 0105— मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर—गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) — विपत्र कोड — 36—2215017960105 — विषय शीर्ष — 0105.31.05—सहायक अनुदान—परिसंपत्तियों का निर्माण मतदेय शीर्षों में भारितव्य होगा।

5. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, सिवान होगें। योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा। राशि की निकासी दरभंगा कोषागार से की जायेगी/बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत संधारित खाते के माध्यम से राशि की विमुक्ति कर योजना के कार्यान्वयन पर व्यय किया जाएगा।

6. संबंधित कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता योजना का कार्यान्वयन अनुमोदित प्राक्कलन के विभिन्न मदों की विशिष्टियों के अनुरूप एवं निर्धारित समय–सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करायेंगे।

7. इस योजना के अनुश्रवण की जवाबदेही संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता की होगी जो योजना के नियमित कार्यान्वयन के क्रम में कम–से–कम क्रमशः दो बार एवं एक बार अनुश्रवण जरूर करेंगे एवं अपना निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित कार्यपालक अभियंता को जरूर भेजेंगे तथा निराकरण भी सुनिश्चित करायेंगे।

8. इस राशि से स्थापना मद पर कोई व्यय नही किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।

9. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियन्ता प्रमुख –सह– विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे।

10. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर राशि की निकासी की जायेगी।

11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96 वि (2), दिनांक–03.01.2018 एवं संकल्प संख्या – एम4–53/2007/3758 /वि0 दिनांक – 31–05–17 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।

12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।

13. इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार द्वारा दी गयी है।

14. वर्ष 2018–19 के वार्षिक योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध में इसके लिए प्रावधान है।

15. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

(ह०) 21.8.18

(सतीश चन्द्र मिश्र)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक – 6ए0/प्राक्क01–1099/2018 – 1928 पटना – 15 ,दिनांक :- 21/8/18

प्रतिलिपि – वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार / कल्याण विभाग/जिला पदाधिकारी, सिवान/कोषागार पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सचिव के आप्त सचिव/अभियन्ता प्रमुख –सह– विशेष सचिव / मुख्य अभियन्ता (नागरिक) / मुख्य अभियन्ता (रूपांकण) / मुख्य अभियन्ता (यॉत्रिक) / प्रशासनिक पदाधिकारी, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, बिहार/ विशेष पदाधिकारी / अधीक्षण अभियन्ता (मो0) / मुख्य अभियन्ता (नागरिक) के प्रावैधिक सचिव / कार्यपालक अभियन्ता (मो0) / उप निदेशक (मू0) / कार्यपालक अभियन्ता (अने0)/ सहायक अभियन्ता (मूल्यांकण) / प्रशाखा–6ए/कार्यवाह सहायक–6ए/ आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुजफ्फरपुर/अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, छपरा/कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. माननीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(ह०) 21.8.18

(सतीश चन्द्र मिश्र)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव